



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1944 (श10)
(सं0 पटना 160) पटना, वृहस्पतिवार, 31 मार्च 2022

वाणिज्य - कर विभाग

अधिसूचना

31 मार्च 2022

एस० ओ० 77 दिनांक 31 मार्च 2022— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017), की धारा 10 की उप धारा (1) के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 52, दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 345, दिनांक 07 मार्च, 2019, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा; यथा: -

4.	6815	फ्लाई ऐश की ईटे या फ्लाई ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स
5.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईटे
6.	6904 10 00	निर्माणी ईटे
7.	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-12) 910)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

31 मार्च 2022

एस० ओ० 77, दिनांक 31 मार्च 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12) 910)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 31st March 2022

S.O. 77, Dated 31st March 2022— In exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 52, dated the 7th March, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 345, dated the 7th March, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

“4.	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks
5.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
6.	6904 10 00	Building bricks
7.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12) 910)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 160-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>